

सुषमा स्वराज  
Sushma Swaraj

संदेश

.....

24 जून, 2017 को पांचवे पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर भारत में और विदेश में हमारे सभी पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकारियों को बधाई देना मेरे लिए अत्यधिक प्रसन्नता का विषय है। इस वर्ष हम पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधिनियमित किये जाने के 50 वर्ष पूरे होने को मना रहे हैं। विदेश मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालय - केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के पास समयबद्ध, सुनिश्चित और सक्षम तरीके से पासपोर्ट सेवाओं को प्रदान किए जाने की अपनी नवीकृत प्रतिबद्धता के साथ इस अवसर को मनाने और तो और इसे यादगार बनाने के भरपूर कारण हैं।

बीता हुआ वर्ष इतिहास में उस वर्ष के रूप में दर्ज होगा जिसमें इस मंत्रालय ने बेहतर पासपोर्ट सेवा वितरण तंत्र को विकसित करने के अपने प्रयास में पथ-प्रवर्तक कदम उठाए। हमने न केवल पासपोर्ट नियमों को सरल किया बल्कि पासपोर्ट सेवाओं को हमारे नागरिकों के और अधिक समीप ले जाने के लिए बड़े विशाल डग भी भरे।

पासपोर्ट सेवाओं को हमारे नागरिकों तक बड़े पैमाने पर पहुंचाने और इनके व्यापक क्षेत्र विस्तार को सुनिश्चित करने हेतु प्रधान डाकघरों को डाकघर पासपोर्ट सेवा केन्द्रों के तौर पर प्रयोग करने के लिए हमने डाक विभाग के साथ टीम बनाई है। हमने दो चरणों में 235 पी.ओ.पी.एस.के. खोलने का निश्चय किया है - प्रथम चरण में 86 और द्वितीय चरण में 149। यह संतुष्टि का विषय है कि प्रथम चरण में चिन्हित किये गए 52 पी. ओ. पी. एस. के. प्रचालित कर दिये गए हैं। पासपोर्ट पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदक, पासपोर्ट जारीकरण के पूर्व पासपोर्ट सेवा केंद्र में पूरी की जाने वाली आवश्यक औपचारिकताओं को, अब मुलाकात का समय आरक्षित करने के पश्चात निर्दिष्ट डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र (पी.ओ.पी.एस.के.) में जाकर पूरा कर सकते हैं। हम, पासपोर्ट प्राप्ति के लिए एक आवेदक द्वारा तय की जाने वाली आवश्यक दूरी को कम करने में समर्थ रहें हैं।

सरलीकरण के अपने अभियान के एक भाग के रूप में, हमने जन्मतिथि प्रमाण के रूप में कई नए दस्तावेजों की अनुमति दी है और पासपोर्ट नियमों में से कई अनुबंधों को हटाया है। अच्छे प्रशासन, प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह सेवा वितरण प्रदान किए जाने को आने वाले दिनों में भी जारी रखने के लिए हमारा प्रयास रहेगा।

मैं, इस मौके पर आपसे, हमारी सरकार के सिद्धांत "न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन" और हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अधिक समावेशी एवं सुदृढ़ तंत्र स्थापित करने की दिशा में काम करने के प्रति, अपने आप को पुनः प्रतिबद्ध करने का निवेदन करती हूँ।

सुषमा स्वराज